राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1769/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स साबू इण्डस्ट्रीज,
सूर्या हाउस, एल–5बी–11, सी–स्कीम, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 39/अपी. II/2007–08/जे.पी.बी. में पारित आदेश दिनांक 08.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2005 के अन्तर्गत राजस्थान मोटर वाहन प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे आगे **"प्रवेश कर"** कहा जायेगा) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 व 58 के तहत आरोपित कर रूपये 3,42,,493/– शास्ति रूपये 1,71,247/– एवं ब्याज रूपये 1,89,984/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर के कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.07.2003 के विरूद्ध प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के यहां अपील करने पर उनके निर्णय दिनांक 31.03.2004 के अनुसार प्रतिकरापवंचन अधिकारियों द्वारा पारित आदेश प्रवेश कर के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार के बाहर मानते हुए उनके द्वारा कायम मांग राशि रूपये 4,48,666/–अपास्त करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया, नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर सशक्त अधिकारी द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 08.01.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2003 के अंतर्गत वाहन संख्या आर.जे.–6सी–4255 को बिना घोषणा पत्र ई.टी.–1 के राज्य में आयात कर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 व 7 के उल्लंघन किया जाने के आधार पर रूपये 4,48,666/– की मांग कायम की गई। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त मांग के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2004 के द्वारा उक्त मांग को यथावत रखते हुए आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील दायर की गई जिसका निर्णय करते हुए माननीय कर बोर्ड, अजमेर द्वारा कर बोर्ड ने दोनों आदेशों को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की। अतः उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय के प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों को मांग सृजित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण क्षेत्राधिकार रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेश को ही अपास्त कर दिया गया। अतः उपायुक्त (अपील्स) के उक्त आदेश की अनुपालना में सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश अविधिक होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का ससम्मान अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय के आदेश दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध निर्णित अपील दिनांक 15.03.2007 के प्रति का अवलोकन कराया गया। उक्त निर्णय के अनुसार चूंकि कर बोर्ड, अजमेर द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय के सहायक आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अंतर्गत कायम की गई मांग को अपास्त करते हुए क्षेत्राधिकार रखने वाले कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने संबंधी आदेश को ही अपास्त कर दिया गया है, जिससे अपीलीय अधिकारी ने उचित रूप से आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसे यथावत रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णया सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य